राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1010/2024

लक्ष्मीनारायण —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री गौरव शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई एवं दिनांक 18.03.2024 को प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उपखण्ड राजाखेड़ा जिला धौलपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षक के पद पर वर्ष 2013 में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी जाकर पदस्थापन उपखण्ड धौलपुर से उपखण्ड राजाखेड़ा, धौलपुर में किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.09.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपखण्ड राजाखेड़ा जिला धौलपुर से उपखण्ड उच्चैन जिला भरतपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। उसका आगे कथन है कि आदेश दिनांक 11.10.2019 (अनुलग्नक–4) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि निम्न पांच जिलों बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर एवं सिरोही नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आशान्वित जिले के रूप में चयनित है। आशान्वित जिले

से अधिकारी/कार्मिक के स्थानान्तरण होने पर जब तक नवीन अधिकारी/कार्मिक का पदस्थापन नहीं होता तब तक स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे, का उल्लंघन करते हुए बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी की दो अविवाहित बहने एवं एक अविवाहित भाई तथा दो छोटे बच्चे और 65 वर्षीय वृद्ध माताजी है, जो कई बीमारियों से पीड़ित है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है (अनुलग्नक–5)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को उपखण्ड राजाखेड़ा जिला धौलपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर समस्त पारिणामिक लाभों के साथ कार्य करने दिया जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अंतर्गत अपने आदेश करने के विवेकाधिकार का उपयोग हेतु सक्षम है। अपीलार्थी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं रखता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले कार्यमुक्ति/स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतिक्षा के आदेशों पर कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावकारी नहीं होती है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के संदर्भ में न्यायालय के हस्तक्षेप की शक्तियां सीमित है, केवल दुर्भावना, मनमाना एवं नियमों के विपरीत आदेशों में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में किये गये आदेशों में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.सी.सक्सेना बनाम भारत संघ एवं अन्य (2006(9)एस.सी.सी.583)** के प्रकरण में पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि :–

it is his duty to first report for work where he is transferred and make a representation as to what may be his

personal problems. This tendency of not reporting at the place of posting and indulging in litigation needs to be curbed.

6. उक्त न्यायिक दृष्टिांतों के अनुसार अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
7. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
8. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपखण्ड राजाखेड़ा जिला धौलपुर से उपखण्ड उच्चैन जिला भरतपुर में सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2021 से पदस्थापित है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना अभिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।
9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य